बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

का0आ0सं0–भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(विनियमन)–04/2025 152 ..... पटना, दिनांक 13/11/26

'कार्यालय आदेश'

श्री लव कुमार, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राईम, शेखपुरा को पटना में पदस्थापन के दौरान आवंटित आवास सं0–02/84, 84 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट को आवास आवंटन (पटना केन्द्रीय पूल) नियमावली, 1986 के नियम–11(2) में निहित प्रावधान के आलोक में निम्नरूपेण किराया चुका दिए जाने की शर्त्त पर दखल में रखने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

(क) पटना से बाहर स्थानांतरण के उपरांत 1 माह के लिए मानक किराया पर (दिनांक–27.10.2026 से 26.11.2026 तक)।

(ख) उक्त माह के बाद तीन महीने तक नवजात शिशु के चिकित्सीय कारणों से मानक किराए के दो गुणा दर पर (दिनांक–27.11.2026 से 26.02.2027 तक)।

(ग) उपर्युक्त चार महीने की अवधि के बाद सरकारी आवास के लिए बाजार–सह–दण्ड किराया वसूल किया जायेगा, जबतक कि पदाधिकारी आवास खाली नहीं कर देते (दिनांक–27.02.2027 से आवास रिक्त करने की तिथि तक)।

2. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(स्वेतांक सुमन)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–भवन/भू–सम्पदा–01–आवास–(विनियमन)–04/2025 10663 (4) पटना, दिनांकः– 13/11/26

प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना/सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/श्री लव कुमार, वरीय पुलिस उपाधीक्षक, साइबर क्राईम, शेखपुरा, आवास सं0–02/84, 84 सेट, ऑफिसर्स फ्लैट, पटना/कार्यपालक अभियंता, कर प्रमंडल, भवन निर्माण विभाग, पटना/कार्यपालक अभियंता, पाटलिपुत्र भवन प्रमंडल, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/11/26
सरकार के अवर सचिव।